(8) (8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 152–एक/2005, विरूद्ध आदेश दिनांक 07–01–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 90/2003–04

.....

कमलसिंह पुत्र श्री भवूतसिंह
निवासी–ग्राम दोषपुर तहसील व
जिला–गुना (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– तुलसीराम पुत्र दौलतसिंह
निवासी–ग्राम ग्राम दोषपुर तहसील व
जिला–गुना (म0प्र0)
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक कौशिक, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री बी0एन0 त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, अपर कलेक्टर, जिला गुना के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दोषपुर तहसील गुना की पटवारी नामांतरण पंजी क्रमांक 32 दिनांक 20.12.1988

में भूमि सर्वे क्रमांक 89/2 रकबा 0.418 है0 भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी कल्याण सिंह, कमल सिंह, हरनाम सिंह पुत्रगण भूरे सिंह आदि के स्थान पर तुलसीराम पुत्र दौलतसिंह, निवासी ग्राम दोषपुर तहसील गुना को भूमि स्वामी घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः नामांतरण दुरूस्त किया जावे । न्यायालय अपर कलेक्टर द्वरा आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच की गई जिसमें जांच के दौरान अनियमिततायें पायी गयी जिस पर से अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार गुना द्वारा की गई उपयुर्क्त कार्यवाही को नियम विरूद्ध पाये जाने के कारण प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसील न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 31.5.2004 को निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 90/2003–04 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 07.01.2005 से अपर कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.2004 निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.88 को पुर्नस्थापित किया गया । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 07.01.2005 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने जो कारण बतलाये है उसका उल्लेख निर्णय की कंडिका 5 में किया है जिसका मुख्य कारण अपर आयुक्त ने बतलाया है कि जब तहसील न्यायालय द्वारा 1988 में आलोच्य आदेश द्वारा अनावेदक क्र0 1 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है और उस आदेश को 2001 के लम्बे समय बाद स्वमेव निगरानी में लेना युक्तियुक्त समय में लिया जाना चाहिये था । इसके अलावा अपर आयुक्त ने कुछ न्याय दुष्टांत भी दिये है, जिनके आधार पर विवादित आदेश को निरस्त किया गया है जबकि अपर आयुक्त ने प्रकरण के मुख्य बिन्दुओं को कतई विचार में नहीं लिया, जबकि स्वमेव निगरानी के द्वारा अनियमित कार्यवाही को किसी भी समय सूमोटो में लिया जाकर विवादित आदेश निरस्त किया जा सकता है । अपर आयुक्त ने पूरे प्रकरण का

निराकरण सरसरी तौर पर समय सीमा के बिन्दु के आधार पर लिया जाकर भूल की है । जहां तक प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रकरण के तथ्यों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जैसा कि स्वमेव निगरानी के अधिकारों के सम्बन्ध में अपर आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि युक्तियुक्त समय में लिया जाना चाहिये था । तर्क में यह भी बताया गया है कि नायब तहसीलदार ने भूमिस्वामी अधिकार केवल नामांतरण पंजी पर ही अनावेदक क्र0 1 को प्रदत्त कर दिये है । इस अनियमित आदेश को किसी भी दृष्टि से बहाल नहीं रखा जा सकता और जैसे ही अपर कलेक्टर की नजर में ऐसा अनियमित प्रकरण आया उन्होंने उसे सुमोटो में लेकर कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की और अपर आयुक्त ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज किया है । जहां तक भूमि स्वामी के अधिकारों का प्रश्न है भूमिस्वामी के अधिकार वहां से उद्भूत होगे जब संहिता की धारा 189 के तहत सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा तक अनुविभागीय अधिकारी प्रथक से न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर प्रकरण विधि सम्बत आदेश पारित करें । परन्तु वर्तमान प्रकरण में नायब तहसीलदार ने मात्र नामांतरण पंजी पर अनावेदक क्र0 1 को भूमिस्वामी घोषित कर दिया, जबकि उक्त कार्यवाही को अपर आयुक्त ने बहाल करने में भूल की है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी कमांक 32 पर पारित आदेश दिनांक 20–12–1988 द्वारा नायब

तहसीलदार ने कब्जे के आधार पर अनावेदक को भूमिस्वामी घोषित करते हुये उसका नामान्तरण कर दिया । कब्जे के आधार पर नामान्तरण किये जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । उक्त प्रकरण में कब्जा प्रमाणित – दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य में भी नहीं किया गया । आवेदक पक्ष भू–अभिलेखों में तत्समय अभिलिखित भूमि स्वामियों को न सुना गया है, न सूचना ही की गई है । स्पष्ट है कि उक्त आदेश पूर्ण रूप से अवैधानिक था । उक्त आदेश की भू–अभिलेखों में प्रविष्टि भी नहीं थी इसीलिये अनावेदक ने वर्ष 2001 में उक्त आवेदन दिया जिस पर दिनांक 04–12–2001 को अमल का आदेश तहसीलदार ने किया । जबकि उसके पूर्व ही कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20–02–1988 को स्वमेव निगरानी में ले लिया था क्योंकि भू–अभिलेखों में अमल दिनांक 04–12–2001 तक नहीं हुआ था । अतः आवेदक को इसकी जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता । जिससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा यह मानकर की आवेदक को पूर्व से जानकारी थी, अपने निष्कर्ष निकाले ।

6/ वैसे भी अवैधानिक आदेश को किसी भी समय स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जा सकता है इसके लिये समयसीमा का कोई बन्धन कार्यवाही न करने का आधार नहीं हो सकता ।

7/ उपरोकत विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 07–01–2005 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–05–2014 की पुष्टि की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर